E-Mail

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक:प.1(9)साप्र/ग्रुप–5/2014 जयपुर, दिनांक: 17.12.2015

आदेश

राजस्थान सर्किट हाउस मैन्युअल, 2012 के अध्याय–3 "जनरल मैनेजमेन्ट संबंधी नियमों" के बिन्दु संख्या–38 में "ब" निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"(ब)मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान एवं मा0 मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परिवार के सदस्यों को राजस्थान के समस्त विश्राम भवनों एवं राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मुख्य न्यायाधिपति के साथ नहीं होने पर भी साधारण दरों (ग्रुप–I/अ i) से दुगुनी दरों पर निर्धारित अवधि तक ठहरने के लिये अधिकृत किया जाता है। परिवार के सदस्य स्वयं अपनी प्रविष्ठि संबंधित अतिथि गृह पुस्तिका में कर सकेंगे। परिवार के सदस्यों को आरक्षित अति विशिष्ठ अतिथि कक्ष के अलावा उपलब्ध वी.आई.पी. कक्ष आवंटित किया जायेगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0 –

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशेषाधिकारी(एस), मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार को उनकी आई. डी. संख्या F15004468 दिनांक 16.12.2015 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्रांक 4583 दिनांक 08.12.2015 के संदर्भ में।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव को उनकी आई.डी. संख्या 7808 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को उनकी अ0शा0टीप प.27(47)न्याय/02 दिनांक 08.12.2015 के संदर्भ में।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. प्रबंधक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली।
8. समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

17.12.15

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव